न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/19/2021	2021/140	08.10.2021	14.05.2024

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, अलवर जरिये विकास अधिकारी

——निगरानिकार

बनाम

1. अध्यक्ष सैनी समाज विकास समिति लक्ष्मणगढ पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
2. ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर जरिये सचिव/सरंपच।

—— अनिगरानिकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ दिनांक 04.10.2009 पट्टा सं0 39 जिसके द्वारा गैर कानूनी रूप से अध्यक्ष सैनी समाज विकास समिति लक्ष्मणगढ के हक में कृषि भूमि में आबादी का पट्टा जारी किया को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा —वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी विरुद्व आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर आदेश दिनांक 04.10.2009 जिसके द्वारा अपार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत तरीके पर नियम विरुद्व खिलाफ कानून पट्टा संख्या 29 जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि गैरनिगरानीकार सं0 1 अध्यक्ष सैनी समाज विकास समिति ने गैरनिगरानीकार सं0 2 के समक्ष पट्टा दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 04.10.2007 को उज्रदारी नोटिस जारी किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2007 को मौका रिपोर्ट हेतु एक कमेटी बनाई व दिनांक 05.11.2008 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 20.05.2009 को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया और दिनांक 04.10.2009 को 1086.33 वर्गगज का पट्टा बिना किसी शुल्क के निशुल्क जारी किया है। जिस आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

गैरनिगारानीकार सं0 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूद्व जारी किया है तथा पंचायती राज0 अधि0 व राजस्थान पंचायती राज0 नियमों की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुए पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय ना तो भूमि पर किये गये

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

किसी निर्माण की जानकारी की ना ही जिस भूमि बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूमि पर जो निमार्ण है। यह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से संबंधित कोई तथ्य तथा भूमि के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहां भूमि स्थित है उस मौहल्ले पड़ौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा भूमि के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नही किया गया है कि अमुक निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नही किया गया है तथा नियमानुसार निशुल्क पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त पट्टा गैरकानूनी रूप से दिया हुआ है।

भूखण्ड हेतु नियमन पट्टा जारी करने हेतु जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है उसमें भी भूमि निमार्ण जिसका पट्टा जारी किया जाना है की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नहीं किया है ताकि उज्रदार सम्पति/भूखण्ड की कोई पहचान से सकी उज्रदारी करने या करने की स्थिति पर विचार ना कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई। उक्त पट्टा किस भूमि में जारी किया गया यह भी पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। गैरनिगरानीकार सं0 1 ने गैरनिगरानीकार सं0 2 से मिल्लत कर गलत प्रकार से उक्त पट्ट जारी कराया गया है।

राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम की धारा 97(1) में निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी होते ही यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनांक 04.10.2009 पट्टा सं0 39 जो ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा जारी किया गया है को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाया जावे।निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

पत्रावली में वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील निगरानीकार की बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील निगरानीाकर द्वारा बहस में यह तथ्य स्पष्ट किये गये कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टा दिया गया है। पट्टे का क्षेत्रफल 1086.33 वर्गगज का पट्टा बिना किसी शुल्क के निशुल्क जारी किया है। निशुल्क पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायोचित नहीं है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण के क्रम विवादित आदेश पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरीत है।

रिकॉर्ड का मिलान करने पर पत्रावली में यह तथ्य स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी संस्था को 1086.33 वर्गगज का पट्टा निशुल्क जारी करना नियमों में नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टा देने की कार्यवाही की गई है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्य उचित है। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तत्कालीन ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के पट्टा संख्या 39 निर्णय दिनांक 04.10.2009 बहक गैरनिगरानीकार संख्या 01 निरस्त किया जाता है। पद का दुरूपयोग करने वाले अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्यवाही करने की सुनिश्चतता की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर